

**समाहरणालय मुजफ्फरपुर।**  
(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

\*\*\*\*\*

**अधिघोषणा**

( अधिनियम-30/2013 की धारा- 19(1) के अधीन)

संख्या 2086 / भू-अर्जन, मुज०, दिनांक 01/10/2021

चूंकि समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा, परियोजना- छपरा- मुजफ्फरपुर नई रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु ग्राम-नेमापट्टी पकौली उर्फ लालू छपरा, थाना-पारु, थाना नं०-495, अंचल- पारु, जिला मुजफ्फरपुर में कुल- 2.32 एकड़ यानि 0.94 हे० भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश-2.32 एकड़ यानि 0.94 हे० है, और जो ग्राम-नेमापट्टी पकौली उर्फ लालू छपरा, थाना-पारु, थाना नं०-495, अंचल- पारु, जिला मुजफ्फरपुर में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०	खाता संख्या	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खंड संख्या)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	1325	रैयती	धनहर	0.02	कैलाश ठाकुर पिता- श्यामनारायण ठाकुर सा० लालू छपरा	1324	1326	Basuchak	1327
2	13	1427	रैयती	धनहर	0.0525	खेन्हारी ठाकुर वो बिजली ठाकुर पिता-रामऔतार ठाकुर सा० लालू छपरा	1429	1428	1429	1434
3	13	1431	रैयती	धनहर	0.065	खेन्हारी ठाकुर वो बिजली ठाकुर पिता-रामऔतार ठाकुर सा० लालू छपरा	1332	1432	Basuchak	1429
4	17	1421	रैयती	धनहर	0.125	गोवर्धन राय पिता-दुलारचंद्र राय सा० लालू छपरा	1422	Rampur	1422	1415
5	28	1415	रैयती	धनहर	0.0025	जनक राय पिता-परमेश्वर राय सा० लालू छपरा	1414	Rampur	1421	1294

6	28	1430	रैयती	धनहर	0.095	जनक राय पिता-परमेश्वर राय सा० लालू छपरा	1429	Rampur	Basuchak	1432
7	33	1335	रैयती	धनहर	0.41	जलधारी राय पिता-शिवराज राज वो भरत राय वो चुल्हाई राय पिता- रघु राय सा० लालू छपरा	1328	1431	Basuchak	1429
8	64	1429	रैयती	धनहर	0.34	तपेश्वर राय पिता-छुधारी राय वो शिवनन्दन राय पिता-कुंजबिहारी राय	1335	1430	1335	1427
9	150	1428	रैयती	धनहर	0.12	रूखा ठाकुर वो योद्धा ठाकुर वो प्रसन ठाकुर वो ब्रह्मदेव ठाकुर पिता- शिवराज ठाकुर	1427	1430	1429	1432
10	178	1422	रैयती	धनहर	0.63	कलफी राय पिता- सुकन राय वो दुलारचंद्र राय पिता- अशर्फी राय वो शिव राय वो नेमीचंद्र राय पिता-मटु राय	1424	Rampur	1430	1421
11	108	1328	रैयती	धनहर	0.12	मथुरा ठाकुर पिता-रामजतन ठाकुर	1329	1335	1326	1335
12	77	1326	रैयती	धनहर	0.08	बद्री नारायण ठाकुर पिता-श्याम नारायण ठाकुर	135	1335	Basuchak	1328

13	145	1426	रैयती	धनहर	0.16	रामस्वार्थ ठाकुर पिता-नथुनी ठाकुर वो मुंशी ठाकुर पिता-रामधार ठाकुर वो तपेश्वर ठाकुर पिता- अगरदेव ठाकुर वो प्रगन ठाकुर वो नागा ठाकुर पिता- महावीर ठाकुर	1429	1422	1429	1425
14	71	1425	रैयती	धनहर	0.01	शकल राय पिता-दहाउर राय वो शैलदेवी पति-शंकर ठाकुर	1429	1422	1426	1424
15	118	1327	रैयती	धनहर	0.09	यशोदा देवी पति-सीताराम ठाकुर	1429	1426	1429	1426
<b>कुल रकवा</b>					<b>2.320</b>					
<b>(दो एकड़ बत्तीस डीसमिल)</b>										

यह अधिघोषणा अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। इस भूमि अर्जन के कारण कोई भी व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहे हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया जाना अथवा उपयोग किये जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

६०

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार,  
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक २०८६/भू-अर्जन दिनांक ०१/१०/२०२१

- प्रतिलिपि:- आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी०डी० के साथ दो दैनिक सामाचार पत्रों जिनमें एक स्थानीय भाषा (हिन्दी) में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक भू-अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अधिघोषणा की प्रति को सूचना पट्ट एवं सार्वजनिक स्थान पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु चिपका दें।
- प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, पारू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अधिघोषणा की प्रति को सूचना पट्ट एवं सार्वजनिक स्थान पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु चिपका दें तथा अपने स्तर से इसकी सूचना संबंध ग्रामवासियों को दे दें।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट प्रशाखा, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच-पाँच प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मुखिया मौजा-नेमापट्टी पकौली उर्फ लालू छपरा, थाना-पारू, थाना नं०-495, अंचल- पारू, जिला मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-  जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अधिघोषणा को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार  
मुजफ्फरपुर।

30/12